

कार्यालय : अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, राँची



वन भवन, डोरण्डा, राँची



E-mail :- addlpccfdevelopment@gmail.com
Phone & Fax No. 0651-2481813

पत्रांक :- ०१ / यो०ब० (४७) / २०१५ – ११५७

प्रेषक,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची।

सेवा में,

वन प्रमंडल पदाधिकारी, सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, देवघर/
वन प्रमंडल पदाधिकारी, सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, हजारीबाग/
वन प्रमंडल पदाधिकारी, सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, कोडरमा

दिनांक :- २९.१०.२०१५

विषय :-

वित्तीय वर्ष २०१५–१६ में कार्यान्वित की जाने वाली “भू-संरक्षण एवं वनरोपण योजना” (अन्य व्यय) के अन्तर्गत शीघ्र बढ़ने वाले पौधों का रोपण का अग्रिम कार्य (प्रथम वर्ष) के लिए कुल ४९.९५१ लाख (उनचस लाख पनचानवे हजार एक सौ रुपये) मात्र का ऑन-लाईन उप आवंटन के संबंध में।

प्रसंग :-

वन विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या ०४ / यो०बजट-६६ / २०१५-०७ / स्वी० व० प० दिनांक-१२.०६.२०१५ एवं आवंटन आदेश संख्या-०४ / यो०बजट-६६ / २०१५-३६ आ० व०प० दिनांक-१२.०६.२०१५।

महाशय,

वित्तीय वर्ष २०१५–१६ में कार्यान्वित की जानेवाली “भू-संरक्षण एवं वनरोपण योजना” (अन्य व्यय) के अन्तर्गत शीघ्र बढ़ने वाले पौधों का रोपण का अग्रिम कार्य (प्रथम वर्ष) के लिए कुल ४९.९५१ लाख (उनचस लाख पनचानवे हजार एक सौ रुपये) मात्र राशि का ऑन-लाईन उप आवंटन उपर्युक्त वर्णित वन विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या ०४ / यो०बजट-६६ / २०१५-०७ / स्वी० व० प० दिनांक-१२.०६.२०१५ एवं आवंटन आदेश संख्या-०४ / यो०बजट-६६ / २०१५-३६ / आ० व०प० दिनांक-१२.०६.२०१५ के अन्तर्गत किया जा रहा है।

२. उक्त स्वीकृत राशि के विरुद्ध निम्न प्रकार लघुशीर्ष/इकाईवार राशि आवंटित किया जाता है :-

(राशि लाख में)				
क्र० सं०	शीर्ष का नाम	प्राथमिक इकाई	विपत्र कोड	आवंटित राशि
1	101—वन संरक्षण, विकास तथा सम्पोषण, उप शीर्ष ०६—भू-संरक्षण एवं वनरोपण योजना	मजदूरी	19P240601101060103	46.252
		आपूर्ति एवं सामग्री	19P240601101060323	3.699
कुल आवंटित राशि				49.951

अर्थात् कुल 49.951 लाख (उनचस लाख पनचानवे हजार एक सौ रुपये मात्र राशि आवंटित की जाती है। ऑन—लाईन उप आवंटन की प्रति संलग्न है।

3. वर्तमान आवंटित कुल 49.951 लाख (उनचस लाख पनचानवे हजार एक सौ रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के अधीन है तथा वित्तीय वर्ष 2015–16 में कार्यान्वित की जानेवाली “भू—संरक्षण एवं वनरोपण योजना” (अन्य व्यय) बजट मुख्य शीर्ष 2406—वानिकी तथा वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष 01—वानिकी लघु शीर्ष 101 वन संरक्षण, विकास तथा सम्पोषण, उप शीर्ष 06—भू—संरक्षण एवं वनरोपण योजना अन्तर्गत विकलनीय होगा।

4. उक्त स्वीकृत राशि के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अनुलग्नक—1 से 2 में अंकित विवरणी के अनुरूप होंगे। राशि की निकासी संबंधित जिले के कोषागार/उप कोषागार से की जायेगी।

5. वन प्रमंडलों द्वारा “स्थल विशेष प्राक्कलन” श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2015–16 की निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर एवं अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 से अधिसूचित समिति द्वारा निर्धारित एवं अनुमोदित दर पर तैयार किया गया है तथा प्राक्कलन पर वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प संख्या—564 दिनांक 18.02.2008 के अनुसार प्रशासनिक अनुमोदन एवं तकनीकी स्वीकृति सक्षम वन पदाधिकारियों द्वारा प्रदान की गयी है जिसकी प्रति अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास कार्यालय को प्राप्त है। तदनुसार वर्ष 2015–16 के लिए राशि का आवंटन किया जा रहा है। राशि का व्यय वार्तविक रूप से स्थल विशेष प्राक्कलन पर प्रदत्त तकनीकी स्वीकृति एवं प्रशासनिक अनुमोदन तक सीमित रखा जायेगा।

6. स्वीकृत की जा रही राशि का आवंटन मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड, राँची की अधिसूचना संख्या 301 दिनांक 11.03.2015 के आलोक में वन एवं पर्यावरण विभाग के स्तर से निर्गत किया जायेगा।

7. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची होंगे, जिनके मार्गदर्शन में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास) के द्वारा योजना कार्यान्वयन का सतत अनुश्रवण सुनिश्चित किया जाएगा। योजनान्तर्गत प्रत्येक माह हेतु निर्धारित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य के विरुद्ध प्रगति से वन एवं पर्यावरण विभाग को अवगत कराया जायेगा।

8. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा योजना का सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के द्वारा कार्यान्वयनाधीन योजनाओं का नियमित निरीक्षण करते हुए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्य सम्पन्न कराया जाएगा तथा प्रत्येक माह की पाँच तारीख तक अपनी नियंत्री पदाधिकारी को वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन समर्पित किया जाएगा।

✓
6.3

9. उप-आवंटित राशि की निकासी वित्त विभागीय पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.98 एवं समय-समय पर निर्गत परिपत्रों के आलोक में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, रॉची से उप आवंटन प्राप्त होने के उपरांत की जाएगी।
10. राशि की निकासी संबंधित जिलों में अवस्थित कोषागार/उप कोषागार से की जायेगी तथा कोषागार संहिता के नियम-300 एवं सभी वित्तीय नियमों का अनुपालन दृढ़ता पूर्वक किया जायेगा।
11. योजनाओं में सामग्री का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देश एवं वित्तीय नियमों तथा वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प संख्या-940 दिनांक 16.03.1992 द्वारा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की अनुशंसाओं के अनुसार की जाएगी।
12. नियंत्री तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे देखें कि यदि कोई ऐसी योजना का कार्य के विरुद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, जिसे दूसरे स्त्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है, तो इसकी निकासी रोककर इसके निराकरण हेतु सूचना संबंधित पदाधिकारी या विभाग को तुरंत देंगे।
13. इस योजनान्तर्गत वानिकी कार्यों का संपादन विभागीय अधिसूचना संख्या-2371, दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकार से अनुमोदित दर पर किया जायेगा तथा योजनान्तर्गत किये जानेवाले ऐसे कार्य जिनकी दर विभागीय अधिसूचना सं-2371, दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के कार्यक्षेत्र से बाहर है, की दर का निर्धारण योजना के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा वित्त विभाग के द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप किया जायेगा।
14. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation समय निश्चित रूप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा।
15. पूर्व प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त राशि के अनुसार वन प्रमंडलों को राशि आवंटित की जाएगी, किन्तु योजनाओं का व्यय “स्थल विशेष प्राक्कलन” योजना की तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त राशि तक सीमित रखा जाएगा।
16. योजना के अन्तर्गत स्थल के अनुरूप निर्धारित वानिकी मापदंडों के अनुसार पौधों का रोपण किया जाना है।

17. रोपित पौधों/वृक्षों में जीवित पौधों की आवश्यकतानुसार जाँच/सत्याप असम्बद्ध प्रमंडल से कराई जाएगी।
18. वृक्षारोपण के जीवित पौधों के प्रतिशत का ऑकड़ा वर्षवार विभागीय Website पर फोटो के साथ डाला जाय तथा इसकी सूचना सरकार को भी उपलब्ध करायी जाएगी।
19. मजदूरों का भुगतान श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा निर्धारित अद्यतन न्यूनतम मजदूरी पर के अनुरूप किया जायेगा।
20. आवंटित राशि का भुगतान वित्त विभागीय पत्रांक 3542 दिनांक 19.12.2013 में निरुपित प्रावधानों के अनुरूप किया जायेगा।
21. प्रस्ताव पर मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड की अधिसूचना संख्या-301 दिनांक-11.03.2015 के आलोक में माननीय विभागीय (मुख्य) मंत्री का अनुमोदन तथा आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।
22. तकनीकी स्वीकृत प्राक्कलन में उल्लेखित कार्यों की मात्रा एवं गुणवत्ता को वनपाल, वन क्षेत्र पदाधिकारी, सहायक वन संरक्षक, वन प्रमंडल पदाधिकारी एवं वन संरक्षक, क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक द्वारा वन एवं पर्यावरण विभाग, झारखण्ड सरकार के स्तर से वनरोपण योजनाओं के विद्यान्वयन एवं उसके अनुश्रवण के संबंध में जारी संकल्प संख्या-2539 दिनांक 20.04.2005 एवं संकल्प संख्या-819 दिनांक 10.03.2011 के अनुसार कार्यों का क्रियान्वयन सुनिश्चित करायेंगे।
23. कटबैंक, कॉपिसिंग कार्यों में प्राप्त जलावन को रथानीय ग्रामीणों के बीच पारदर्शी तरीके से वन व्यवस्था पदाधिकारी द्वारा निर्गत आदेशों के अनुरूप वितरित करेंगे।
24. प्रवेश बिन्दु कार्यों का प्राक्कलन अलग से समर्पित करेंगे, जिसपर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त की जायेगी।
25. संबंधित योजना हेतु आवंटन पत्र के शार्तों एवं सरकार के स्तर से स्वीकृत योजना में किसी प्रकार का परिवर्तन कर कार्य कराये जाने पर वन प्रमंडल पदाधिकारी जिम्मेवार होंगे।
26. प्राक्कलन में अंकित प्रजातियाँ रोपी जाएगी। वनरोपण में Mono Culture के स्थान पर मिश्रित प्रजातियाँ का वनरोपण किया जाएगा तथा एक प्रजाति का वनरोपण में प्रतिशत 40 से अधीक नहीं होगा।
27. अनुमोदित योजना एवं प्राक्कलन में किसी भी परिस्थिति में विचलन नहीं किया जाय एवं स्वीकृत मापदण्ड के अनुरूप ही कार्य कराना सुनिश्चित किया जाय।

28. वनरोपण स्थल पर साईनबोर्ड लगायी जायेगी जिसपर आवश्यक सूचना के साथ मजदूरी का दर भी अंकित की जाय एवं न्यूनतम मजदूरी पर का भुगतान सुनिश्चित करायी जाय।
29. कार्य की गुणवत्ता एवं वनरोपण की सफलता वन प्रमंडल पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी। अतः यह अवश्य सुनिश्चित की जाय कि उपलब्ध राशि का सदुपयोग हो।
30. अनुमोदित प्राक्कलन की प्रति वन प्रमंडल पदाधिकारी, अपने स्तर से सहायक वन संरक्षक, वन क्षेत्र पदाधिकारी, वनपाल एवं वनरक्षी को उपलब्ध करायेंगे।
31. क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, हजारीबाग का पत्रांक—1777 दिनांक 10.09.2015 द्वारा स्थल चयन समिति की स्वीकृति प्राप्त है।
33. इस योजना के अन्तर्गत किये गये ऑन—लाईन उप आवंटन अनुलग्नक—2, प्रमंडलवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य अनुलग्न—1 पर संलग्न है।

विश्वासभाजन,

अनुलग्नक :— यथोक्ति।

₹/-

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक :—01 / यो0ब0—(47) / 2015- 1157 राँची, दिनांक :— 29.10.2015

प्रतिलिपि—प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची / अपर प्रधान मुख्य संरक्षक एवं निदेशक, प्रसार वानिकी, संथाल परगना, दुमका / अपर प्रधान मुख्य संरक्षक एवं निदेशक, प्रसार वानिकी, उत्तरी छोटानागपुर, पलामू एवं हजारीबाग / एनवीस सेन्टर, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

अनुलग्नक :— यथोक्ति।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।

वित्तीय वर्ष 2015-16 में कार्यान्वित की जाने वाली भू-संरक्षण एवं बनरोपण योजना (अन्य व्यय) के अंतर्गत शीघ्र बढ़ने वाले पौधों का रोपण का अग्रिम कार्य का प्रमणलवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

क्र० सं०	कार्यालय / निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	स्थल का नाम	कार्य	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय वर्ष 2015-16				
					मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल		
i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii		
1	सामाजिक वानिकी प्रमणल, देवघर	बदिया	अग्रिम कार्य	25	10.551	0.881	11.432		
			प्रवेश विन्दु कार्य		4.575	0.352	4.927		
योग :-				25	15.126	1.233	16.359		
2	सामाजिक वानिकी प्रमणल, हजारीबाग	कोनरा	अग्रिम कार्य	25	10.332	0.881	11.213		
			प्रवेश विन्दु कार्य		4.939	0.352	5.291		
योग :-				25	15.271	1.233	16.504		
3	सामाजिक वानिकी प्रमणल, कोडरमा	तिलैया	अग्रिम कार्य	25	11.585	0.881	12.466		
			प्रवेश विन्दु कार्य		4.270	0.352	4.622		
योग :-				25	15.855	1.233	17.088		
सकल योग :-				75	46.252	3.699	49.951		

विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 07 दिनांक 12.06.2015

अपर प्रधान मुख्य बन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, रौची।



गोपनीय राज्य

आवंटन आदेश

झारखण्ड सरकार

चातुर्वर्षीय वर्ष 2015-16 में व्यय हेतु नियमानुसार दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है।

पत्र संख्या - 01/YB (47)/2015/1157

दिनांक -

29-Oct

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं०	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	P 19 240601101060103 2406 . वानिकी तथा वन्य जीवन 01 . वानिकी 101 . वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 06 . शू-संरक्षण एवं वन रोपण योजना 01 . वेतन एवं शो 03 . मजदूरी	72669	DGRFORE87 MANEL TUDU D.F.O. S.F.DIV.. DGR	1,512,600.00 रुपये पंद्रह लाख बारह हजार छ: सं
2	P 19 240601101060103 2406 . वानिकी तथा वन्य जीवन 01 . वानिकी 101 . वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 06 . शू-संरक्षण एवं वन रोपण योजना 01 . वेतन एवं शो 03 . मजदूरी	72670	HZBFWL007 SHREE BHAGWAN MISHRA, I.F.S. D.F.O., S. F. DIV., HAZARIBAG	1,527,100.00 रुपये पंद्रह लाख सत्ताहस हजार एक सं
3	P 19 240601101060103 2406 . वानिकी तथा वन्य जीवन 01 . वानिकी 101 . वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 06 . शू-संरक्षण एवं वन रोपण योजना 01 . वेतन एवं शो 03 . मजदूरी	72671	KDMFORA02 RAMESH PRASAD KAMAL D.F.O (S.F.) KODERMA	1,585,500.00 रुपये पंद्रह लाख पिच्चयासी हजार पौंच सं
				4,625,200.00

योग:

रुपये छयालीस लाख पच्चीस हजार दो सौ

ऋग्मिक योग:

(SHRI Y.K. SINGH CHAUHAN IFS)

ADDL.PCCF.DEV.JHARKHAND

RANCHI

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं०	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
4	P 19 240601101060323 2406 . वानिकी तथा वन्य जीवन 01 . वानिकी 101 . वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 06 . भू-संरक्षण एवं वन रोपण योजना 03 . प्रशासनिक व्यय 23 . आपूर्ति एवं सामग्री	72677	DGRFOR087 MANEL TUDU D.F.O. S.F.DIV.. DGR	123,300.00 रुपये एक लाख तेइस हजार तीन सौ
5	P 19 240601101060323 2406 . वानिकी तथा वन्य जीवन 01 . वानिकी 101 . वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 06 . भू-संरक्षण एवं वन रोपण योजना 03 . प्रशासनिक व्यय 23 . आपूर्ति एवं सामग्री	72679	HZBFWL007 SHREE BHAGWAN MISHRA, I.F.S. D.F.O., S. F. DIV., HAZARIBAG	123,300.00 रुपये एक लाख तेइस हजार तीन सौ
6	P 19 240601101060323 2406 . वानिकी तथा वन्य जीवन 01 . वानिकी 101 . वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 06 . भू-संरक्षण एवं वन रोपण योजना 03 . प्रशासनिक व्यय 23 . आपूर्ति एवं सामग्री	72681	KDMFORA02 RAMESH PRASAD KAMAL D.F.O (S.F.) KODERMA	123,300.00 रुपये एक लाख तेइस हजार तीन सौ
योग:				369,900.00
क्रमिक योग:	रुपये उनचास लाख पिंचानवे हजार एक सौ			4,995,100.00
			(SHRI) Y.K.SINGH CHAUHAN IFS	
			ADDI.PCCF.DEV.JHARKHAND	